

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-9 के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अथवा धारा-12 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु चिन्हित विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के अधीन राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों (शिक्षकों/ कर्मचारियों) के संवर्गान्तर्गत इच्छित राजकीय संस्थान/कार्यालयों में पदस्थापना हेतु विकल्प पत्र

1. कार्मिक का नाम .....
2. कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार ) .....
3. पदनाम ..... विषय.....  
( पदनाम में प्र0अ0 प्राथमिक/स0अ0 प्राथमिक /प्र0अ0 जूनियर/स0अ0 जूनियर /स0अ0 एल0टी0 /प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक हाईस्कूल/ प्रधानाचार्य इण्टर कालेज/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रधान सहायक /वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक / परिचारक आदि का स्पष्ट उल्लेख करें )
4. कार्यरत विद्यालय/कार्यालय का नाम - .....
5. कार्यरत कार्यालय/ विद्यालय की श्रेणी (सुगम/ दुर्गम) .....
6. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन राजकीय संस्थान/ कार्यालय के विकल्प-

वरीयता क्रमोंक	संस्थान/कार्यालय का नाम	पदनाम	विकास खण्ड	जनपद का नाम	संस्थान/ कार्यालय की श्रेणी (सुगम/ दुर्गम)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

- नोट-1. विकल्प केवल संवर्ग के अन्तर्गत के ही प्रस्तुत किये जायें।
2. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र में कार्यरत कार्मिक द्वारा दुर्गम क्षेत्र के संस्थान/कार्यालय का एवं दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत कार्मिक द्वारा सुगम क्षेत्र के संस्थान/कार्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर कार्मिक  
नाम.....  
पद नाम.....

प्रतिहस्ताक्षर

(सक्षम अधिकारी)  
नाम.....  
(संस्था की मुहर)